The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 366] No. 366] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2008/फाल्गुन 27, 1929 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2008/PHALGUNA 27, 1929

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2008

का.आ. 523(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियमावली, 2006 के नियम 15 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के असाधारण, राजपत्र के भाग 11, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 306(अ), दिनांक 1 मार्च, 2007 पूर्व में कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

- उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 3 और 4 तथा क्रम सं. 19 से 30 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :-
 - (i) क्रम सं. 3 और 4 एवं उससे संबंधित सभी प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित का प्रतिस्थापन दिनांक 25 मार्च, 2008 से लागू माना जाएगा, नामत: :-
 - "3. आंचलिक सदस्य (उत्तरी क्षेत्र) श्री राम दास शर्मा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 3, इलां रोड, विले पालें (प.), मुम्बई।"
 - "4. विशेषज्ञ सदस्य (विषणन) सुश्री मधु जैन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 3, इली रोड, विले पार्ले (प.), मुम्बई।"
 - (ii) क्रम सं. 19 से 30 एवं उससे संबंधित सभी के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :--
 - "19. प्रभारी सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (उत्तर क्षेत्र)
 - प्रभारी सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, असम सरकार (पूर्वोत्तर अंचल)

- प्रभारी सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, मध्य प्रदेश (मध्य क्षेत्र)
- 22. प्रभारी सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, पश्चिम बंगाल सरकार (पूर्व अंचल)
- प्रभारी सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, महाराष्ट्र सरकार (पश्चिम अंचल)
- प्रभारी सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, कर्नाटक सरकार (दक्षिण अंचल)
- अध्यक्ष, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, गोकुलभाई भट्ट मेमोरियल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, बजाज नगर सर्कल, जयपुर-302017
- अध्यक्ष, सिक्किम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, दियोराली, गंगटोक-पूर्वी सिक्किम-737102
- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामोद्योग भवन, 8, तिलक मार्ग, लखनक-226001
- 28. अध्यक्ष, बिहार खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, गाँधी मैदान (पूर्व), पटना-800004
- अध्यक्ष, गुजरात खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्राम निर्माण भवन, जुना वादेज, अहमदाबाद-380013
- अध्यक्ष, तमिलनाडु खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, कुरालगाम, 5वां तल, चेन्नई-600108''।

[फा. सं. 6/(6)/2006-केवीआई-II] शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में सं. का.आ. 306(अ), दिनांक 1 मार्च, 2007 और संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 1594(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2007 के तहत प्रकाशित की गईं।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2008

- S.O. 523(E).— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 15 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby amends the notification published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Subsection (ii), Extraordinary, vide number S.O. 306(E), dated the 1st March, 2007 (the erstwhile Ministry of Agro and Rural Industries).
- 2. In the said notification, for serial numbers 3 and 4 and serial numbers 19 to 30 the following shall be substituted, namely:—
 - for serial numbers 3 and 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted with effect from 25th March, 2008, namely:—
 - "3. The Zonal Member (Northen Zone) Shri Ram Das Sharma, Khadi and Village Industries Commission, 3, Irla Road, Vile Parle (W), Mumbai."
 - "4. The Expert Member (Marketing) Ms. Madhu Jain, Khadi and Village Industries Commission, 3, Irla Road, Vile Parle (W), Mumbai."
 - (ii) for serial numbers 19 to 30 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—
 - "19. Secretary in-charge of Khadi and Village Industries, Government of National Capital Territory of Delhi (North Zone).
 - Secretary in-charge of Khadi and Village Industries, Government of Assam (North-Eastern Zone).

- Secretary in-charge of Khadi and Village Industries, Government of Madhya Pradesh (Central Zone).
- Secretary in-charge Khadi and Village Industries, Government of West Bengal (Eastern Zone).
- Secretary in-charge of Khadi and Village Industries, Government of Maharashtra (Western Zone).
- Secretary in-charge of Khadi and Village Industries, Government of Karnataka (Southern Zone).
- 25. Chairperson, Rajasthan Khadi and Village Industries Board, Gokulbhai Bhatt Memorial Bhavan, Jawaharlal Nehru Marg, Near Telephone Exchange, Bajaj Nagar Circle, Jaipur-302017.
- Chairperson, Sikkim Khadi and Village Industries Board, Deorali, Gangtok-East Sikkim-737 102.
- Chairperson, Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board, Gramodyog Bhavan, 8, Tilak Marg, Lucknow-226 001.
- Chairperson, Bihar Khadi and Village Industries Board, Mahesh Bhavan, Gandhi Maidan (East), Patna-800 004.
- Chairperson, Gujarat Khadi and Village Industries Board, Gram Nirman Bhavan, Juna Wadaj, Ahmedabad-380 013.
- Chairperson, Tamil Nadu Khadi and Village Industries Board, Kuralagam, 5th Floor, Chennai-600 108".

[F. No. 6/(6)/2006-KVI-II] SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary, vide number S.O. 306(E), dated 1st March, 2007 and amendment notification vide number S.O. 1594(E), dated 25th September, 2007.